राजस्थान सरकार
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान,
जयपुर फोन न. 0141–2221590 E mail ID : md-nrhm-rj@nic.in

क्रमांक : एफ/आईडीएसपी/कोरोना–19/2020/ 470 दिनांक : 4/5/2020

आदेश

कोरोना वायरस Covid-19 संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम हेतु Dedicated Covid सुविधाओं की तैयारी हेतु इस कार्यालय के आदेश संख्याा आईडीएसपी/2020/414, दिनांक 15.04.2020 द्वारा त्रिस्तरीय सुविधाओं की तैयारी के निर्देश दिये गये थे। उपलब्ध आँकडों के अनुसार लगभग 70 प्रतिशत पॉजिटिव केसेज में या तो हल्के लक्षण या लक्षण नहीं पाये जाते हैं। ऐसे केसेज की देखभाल के लिये प्रत्येक जिले में आवश्यकतानुसार 500 से 1000 Isolation बेड के कुल क्षमता वाले कोविड केयर सेन्टर की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। इस हेतु विस्तृत गाईडलाइन संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया इसके अनुसार कोविड केयर सेन्टर की तैयारियॉ कर पालना रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें एवं इसकी प्रविष्टि covid19.nhp.gov.in में करावें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. एस.ए., मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
7. समस्त अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
8. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
10. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

कोविड–19

केयर सेन्टर गाईडलाईन

कोविड–19 केयर सेन्टर (CCC) : कोविड केयर सेन्टर वह केन्द्र है जहां पर कोविड–19 के Asymptomatic/mild symptomatic/Suspected Cases रोगियों को रखा जा सकें व उनका स्वास्थ्य प्रबन्धन किया जा सके। इस सेन्टर की स्थापना करने से कोविड–19 रोग की रोकथाम व नियंत्रण का कार्य सुव्यवस्थित ढंग से किया जा सकेगा।

कोविड केयर सेन्टर का चयन, प्रबन्धन करने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा एक समिति गठित की जाये। समिति में निम्न प्रकार से सदस्यों को मनोनीत किया जाये :–

1. **जिला कलक्टर प्रतिनिधि**
2. **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का प्रतिनिधि**
3. **लेखाधिकारी**
4. **नगर निगम/नगर पालिका/पंचायत समिति के प्रतिनिधि**
5. **सार्वजनिक निर्माण विभाग का प्रतिनिधि**

उक्त चयन समिति का मुख्य कार्य कोविड केयर सेन्टर के चयन, किराया निर्धारण व प्रबन्धन व अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं से संबंधित कार्य संपादित करेगी।

नोड्ल अधिकारी :

अ. चिकित्सा व्यवस्था हेतु : चिकित्सा व्यवस्था से संबंधित कार्यो हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नोड्ल अधिकारी को मनोनीत किया जावे।

ब. अन्य व्यवस्था हेतु : अन्य व्यवस्थाओं से संबंधित कार्यो हेतु जिला कलेक्टर द्वारा किसी भी विभाग के राजपत्रित अधिकारी को मनोनीत किया जाए, परन्तु प्राथमिकता के तौर पर राजस्व अधिकारी को नियुक्त किया जा सकता है।

1. स्थान का चयन :–

1. जहां तक संभव हो सके इस केयर सेन्टर को ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए जो घनी आबादी क्षेत्र से दूर हो।
2. कोविड–19 केयर सेन्टर की चयन करते समय सर्वप्रथम सरकारी संस्थान को प्राथमिकता दी जावें यदि सरकारी संस्थान उपलब्ध नहीं हो तो निजी संस्थान का चयन किया जा सकता है। यदि निजी संस्थान निःशुल्क उपलब्ध नहीं होता है तो किराये पर भवन लिये जाने का प्रावधान किया जावे जिसका भुगतान आपदा प्रबन्धन या एनएचएम मद से किया जा सकता है।

3. प्राथमिकता के तौर पर ऐसा भवन चिन्हित किया जाए पर्याप्त मात्रा में कमरों की सुविधा उपलब्ध हो।
4. यदि डोरमेट्री या बडे कमरे वाली संस्था का चयन किया जाता है तो पर्याप्त संख्या में शौचालय, स्नानघर उपलब्ध हो। न्यूनतम 10 व्यक्तियों पर 01 शौचालय व स्नानघर की उपलब्धता हो तथा पुरूष एवं महिलाओं के लिए पृथक से स्नानघर व शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो।
5. कोविड–19 केयर सेन्टर चयन करते समय यह ध्यान रखा जावे कि वहां पर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए व्हील चेयर, रैम्प व रैलिंग की सुविधा हो।
6. कोविड–19 केयर सेन्टर चयन करते समय यह ध्यान रखा जावें कि जहां कोविड–19 रोगियों को रखा गया है उनके कमरे प्राकृतिक हवादार हों और सूर्य का प्रकाश आता हो।
7. इस सेन्टर की स्थापना करते समय यह ध्यान रखा जावें कि अति–आवश्यक चिकित्सक सेवा आसानी से उपलब्ध हो सके।

2. कोविड केयर सेन्टर पर मूलभूत सुविधाएं :–

1. नगर निगम/नगर पालिका/पंचायत समिति का यह दायित्व होगा कि वह चयनित किए गए संस्थान पर भोजन, पानी, बिजली, स्वच्छता, साफ–सफाई, कचरा निस्तारण, सुरक्षा व्यवस्था व अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।
2. गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए कमरों में पंखे, कूलर, वाटर कूलर व अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायें।
3. स्थानीय जिला प्रशासन नगर निगम/नगर पालिका/पंचायत समिति के सहयोग से स्थान को चिन्हित कर आवश्यक व्यवस्थाएं यथा पलंग, गद्दे, तकिये, चाद्र व अन्य सुविधाओं उपलब्ध कराएगें।
4. यदि संस्थान पर आवश्यक सुविधा यथा पलंग, गद्दे, तकिये, चाद्र, पंखे, कूलर, वाटर कूलर व अन्य आवश्यक सामान किराये पर लिये जा सकते है जिसका भुगतान आपदा प्रबन्धन एवं एनएचएम मद से किया जाएगा।
5. नगर निगम/नगर पालिका/पंचायत समिति का यह दायित्व होगा कि केयर सेन्टर में रखे जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति हेतु चाद्र, तकिया, तौलिया, नहाने हेतु बाल्टी, मग, साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, हैण्ड सैनेटाईजर, मास्क इत्यादि उपलब्ध करवाएगें।

3. नोटिफिकेशन :– चयनित केन्द्र का चिकित्सा विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन करवाया जावे।

4. कोविड केयर सेन्टर पर इन्फ्रास्ट्रक्चर :–

1. **सेन्टर पर बैड की व्यवस्था :** रोगियों के सोने हेतु पलंग, गद्दा, चादर, तकिया उपलब्ध होने चाहिए। यदि सिंगल रूम की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है तथा एक ही कक्ष में एक से अधिक व्यक्तियों को रखा जाता है तो 02 बैड के बीच में न्यूनतम 01 मीटर की दूरी आवश्यक रूप से रखी जावे।
2. **रिसेप्शन एरिया :** कोविड–19 केयर सेन्टर पर रिसेप्शन एरिया स्थापित किया जाये जहां पर रजिस्ट्रेशन व हैल्प डेस्क की सुविधा हो।
3. **Single Entry and Exit Point :** कोविड–19 केयर सेन्टर पर व्यक्तियों के प्रवेश/निकास एक ही एन्ट्री व एग्जिट मार्ग होना चाहिए। जिससे कि संपूर्ण व्यवस्था पर निगरानी रखी जा सके व संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
4. **सीसी टी0वी0 एवं माईकिंग व्यवस्था :** कोविड–19 केयर सेन्टर पर सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न मुख्य स्थानों पर सीसी टी0वी0 कैमरे लगवाए जाएं जिससे केयर सेन्टर पर हर स्थान की निगरानी की जा सके। सीसी टी0वी0 कैमरे लगवाते समय वहां रहने वालों की निजता का भी पूरा ध्यान रखा जाये। साथ ही **Public Announcement System** जिसके माध्यम से आवश्यकता होने पर संबंधित व्यक्ति को तुरंत सूचित किया जा सकेगा की भी व्यस्था की जावे।
5. **चिकित्सक कक्ष :** कोविड–19 केयर सेन्टर में Examination Room, चिकित्सक, नर्सिंग स्टॉफ के लिए पृथक कक्ष की व्यवस्था हो। कक्ष में बैठने हेतु कुर्सी, टेबल व स्टूल की व्यवस्था की जावे। साथ ही चिकित्सकों/नर्सिंगकर्मियों के लिए **Rest Room** की भी पृथक से व्यवस्था की जावे।
6. **सैम्पल कलेक्शन कक्ष :** कोविड–19 केयर सेन्टर पर रोगियों के यदि सैम्पल लेने की आवश्यकता हो तो पृथक से कक्ष उपलब्ध हो। यदि पृथक से कक्ष उपलब्ध नहीं है तो चिकित्सक कक्ष में रोगियों के नमूने जांच हेतु लिए जा सकते है।
7. **दवा/स्टोर :** कोविड–19 केयर सेन्टर पर आवश्यक दवाइयां, उपकरण, पल्स ऑक्सोमीटर, बीपी इन्स्ट्रमेन्ट, थर्मल स्केनर, गुल्को मीटर, स्टेथोस्कोप, नेब्यूलाईजर, पीपीई किट, एन–95 मॉस्क, ट्रिपल लेयर मॉस्क, सैनेटाइजर व अन्य आवश्यक दवा/उपकरण इत्यादि की व्यवस्था करने हेतु पृथक से कक्ष उपलब्ध हो।
8. **Donning & Doffing कक्ष** : प्रत्येक कोविड–19 केयर सेन्टर पर पीपीई किट, मॉस्क, गल्व्स पहनने व उतारने हेतु पृथक से **Donning & Doffing** एरिया बनाया जाना सुनिश्चित करें। यहां पर कुर्सी, स्टूल व एक बड़े शीशे की व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर ही पीपीई किट, मॉस्क व गल्व्स को पहनने व उतारने की गतिविधि चरणबद्ध तरीके से संपादित की जावेगी।

सेन्टर के अन्य किसी भी स्थान पर पीपीई किट, मॉस्क व गल्व्स का निस्तारण नहीं किया जाएगा।

9. **<u>व्हील चेयर व ट्रोली</u>** : प्रत्येक कोविड–19 केयर सेन्टर पर व्हील चेयर व ट्रोली की उपब्धता सुनिश्चित करवाई जावें।

10. **<u>मनोरंजन के साधन</u>** : कोविड–19 केयर सेन्टर पर रह रहे रोगियों को तनाव मुक्त करने हेतु टेलीविजन/म्यूजिक की व्यवस्था की जावे। साथ ही टेलीविजन के माध्यम से कोविड–19 रोग बचाव से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराई जावे।

11. **<u>आईईसी गतिविधि</u>** : केन्द्र के प्रमुख–प्रमुख स्थानों पर साईन बोर्ड के माध्यम से **Personal Hygiene, Environmental Hygiene, Physical Distancing** कोविड–19 के लक्षणों से संबंधित जानकारी का प्रदर्शन किया जाये।

12. **<u>कोविड हैल्थ केयर सेन्टर से Link Up</u>** : प्रत्येक कोविड–19 केयर सेन्टर जिले के डेडिकेटड कोविड हैल्थ केयर सेन्टर व डेडिकेटेड कोविड अस्पताल से **Linked Up** रहेगा। जिससे आपातकालीन स्थिति में मरीज को रैफर किया जा सके। डेडिकेटड केयर सेन्टर पर कार्यरत् चिकित्सकों, नर्सिंगकर्मियों, एम्बूलेन्स सेवा के फोन नंबर हर कोविड केयर सेन्टर पर उपलब्ध होगें व उनकी **Location** मैप द्वारा चिन्हित की जाएगी व जीपीएस कोर्डिनेट भी शेयर किए जाएंगे।

13. **<u>चैक लिस्ट</u>** कोविड केयर सेन्टर में रोगी को भर्ती करने से पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण से संबंधित चैक लिस्ट भरी जाये।

5. <u>प्रशिक्षण :</u>

- प्रत्येक कोविड–19 केयर सेन्टर में कार्य करने वाले व्यक्ति को कार्य अनुसार प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण में कोविड–19 रोग की स्क्रीनिंग, प्राथमिक उपचार, पल्स ऑक्सोमीटर का उपयोग, इन्फेक्शन कन्ट्रोल, पीपी किट पहनने व उतारने का तरीका, मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेन्सिंग इत्यादि का प्रशिक्षण पूर्व ही कराया जाये। साथ ही बॉयोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाये।

- **आयुष विभाग** : आयुष विभाग के कार्मिकों को उक्त केन्द्र पर लगाए जाने से पूर्व उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- **लैब टेक्निशियन** : पीपीई किट पहनना व उतारना, सैम्पल लेने का तरीका, सैम्पल पैकिंग व ट्रांसपोर्टशन इत्यादि की जानकारी दिलवाई जावे।

- **अन्य कर्मचारी** : सोशल डिस्टेन्सिंग, आएलआई व निमोनिया रोगी की पहचान, हाथ धोने का तरीका, हाइपोक्लोराईड सोल्यूशन द्वारा मोपिंग, मास्क व ग्लव्स का उपयोग, बॉयोमेडिकल वेस्ट एवं अन्य सम्बन्धित जानकारी पर प्रशिक्षण करवाया जावे।

6. **टेली मेडिसिन** : कोविड–19 केयर सेन्टर पर रह रहे रोगियों की विषय विशेषज्ञों से आवश्यकता होने पर टेली मेडिसिन के माध्यम से भी उपचार लिया जा सकता है।

7. **Self Isolation :** कोविड केयर सेन्टर में कार्य करने वाले किसी कार्मिक में कोविड के लक्षण उत्पन्न होते है तो वह स्वयं को **Self Isolate** करते हुए चिकित्सा अधिकारी को सूचित करेगें।

8. **रोगियों की जांच :** मेडिकल टीम द्वारा कोविड–19 केयर सेन्टर में रह रहे व्यक्तियों की प्रतिदिन सुबह–शाम जांच की जावे।

9. **Home Isolatation रोगियों की सूची :** कोविड केयर सेन्टर पर **Home Isolatation** में रखे गये कोविड–19 के रोगियों की सूची भी उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही केयर सेन्टर पर कार्य करने वाले चिकित्सक व कार्मिक **Home Isolation** में रखे गये रोगियों की आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य जांच करते रहेगें।

10. **साइको सोशल सपोर्ट :–** कोविड–19 केयर सेन्टर में रहने वाले व्यक्तियों को विशेष तौर पर वृद्धजन, गर्भवती महिलाए, बच्चों को मानसिक तनाव से मुक्त रखने हेतु गाईडलाईन के अनुसार आवश्यक व्यवस्थाएँ/गतिविधियाँ संपादित की जावे। मनोरंजन के साधनों को भी उपयोग में लिया जावें। उक्त कार्य में मनोरोग विशेषज्ञ व काउन्सलर सहयोग प्रदान करेगें। उक्त कार्य हेतु इस क्षेत्र में काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा सकता है।

11. **Standard and transmission based precautions** कोविड केयर सेन्टर में कार्य करने वाले समस्त कार्मिक व रोगी **Standard and transmission based precautions** की पालना सुनिश्चित करेगें जिसमें पीपीई किट, मॉस्क, ग्लव्स, सैनेटाईजर इत्यादि का उपयोग करेगें।

12. **Hand Hygiene :** कोविड–19 सेन्टर में प्रत्येक व्यक्ति उचित तरीके से कई बार साबुन व पानी से 40 सैकण्ड तक हाथ धोना सुनिश्चित करेगें। हाथ धोने के सही तरीके को दर्शाते हुए पोस्टर हाथ धोने के स्थान पर लगाया जाना तथा हैण्ड सैनेटाईजर का उपयोग भी हाथों को साफ रखने के लिए सुनिश्चित करवाया जाये।

13. Respiratory Etiquette : कोविड–19 केयर सेन्टर में रहने वाले व्यक्तियों को **Respiratory Etiquette** (खांसने व छीकने के लिए कोहनी का उपयोग) का तरीका सिखाया जावें जिसमें काम में लिए जाने उपरान्त टिशू पेपर/रूमाल का निस्तारण के बारे में बताया जावें।

14. इन्फेक्शन कन्ट्रोल एवं सफाई व्यवस्था :

- प्रत्येक कोविड केयर सेन्टर पर कार्य करने वाले सफाइ कर्मचारियों को सफाई व इन्फेक्शन कन्ट्रोल के बारे में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे कि भवन व परिसर की संपूर्ण सफाई व अपशिष्ट का निस्तारण सही ढंग से हो सके।
- कोविड केयर सेन्टर पर साफ–सफाई व्यवस्था हेतु स्थानीय निकाय से सहयोग लिया जा सकता है यदि स्थानीय निकाय का सहयोग प्राप्त नहीं होता है तो आउटसोर्स/संविदा कर्मियों के माध्यम से सफाई व्यवस्था करवाई जा सकती है। सफाई कर्मचारियों का ड्यूटी रोस्टर प्रातःकाल, सायंकाल एवं रात्रिकालीन सारणी के अनुसार बनाया जाये। ड्यूटी रोस्टर बनाते समय भवन के विभिन्न स्थान यथा कमरे, कॉरिडोर, सीढ़ियां, रैलिंग, शौचालय, स्नानघर अन्य समस्त स्थानों पर नियमित रूप से सफाई होना आवश्यक है। 50 रोगियों की क्षमता वाले स्थान पर न्यूनतम 6–8 सफाई कर्मचारी होने आवश्यक है।
- इन्फेक्शन कन्ट्रोल हेतु सफाई कर्मचारियों के माध्यम से प्रतिदिन कोविड–19 केयर सेन्टर के कमरों, गैलरी, सीढिया, कॉरिडोर, रैलिंग, दरवाजों के नॉब, शौचालय व अन्य आवश्यक स्थानों पर निर्धारित अंतराल पर 01 प्रतिशत हाईपोक्लोराईट सोल्यूशन से मोपिंग/छिडकाव करवाया जावे।
- कोविड केयर सेन्टर पर छिड़काव व मोपिंग हेतु आवश्यक सामान क्रय किये जा सकते है।
- सफाई कर्मियों द्वारा गाईडलाईन के अनुसार आवश्यक सुरक्षा हेतु (मास्क, ग्लब्स व अन्य) उपयोग में ली जावे तथा उपयोग उपरान्त वस्तुओ का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित किया जावे।

15. बॉयोमेडिकल वेस्ट : बॉयोमेडिकल वेस्ट अधिनियम–2018 की पालना करने हेतु आवश्यकतानुसार सफेद, नीला, पीला व लाल Bins मय थैलियों का उपयोग किया जाना चाहिए साथ ही बॉयामेडिकल वेस्ट कचरे के निस्तारण से पूर्व हाइपोक्लोराईड सोल्यूशन के माध्यम से डिसइन्फेक्शन करते हुए कचरे का निस्तारण किया जाना चाहिए। **Soiled linen** को हटाने के पश्चात उन्हें पृथक से लेबल करके रखना चाहिए व डिसइन्फेक्शन के उपरान्त ही सीटीएफ सेवा प्रदात्ता के माध्यम से उसका निस्तारण किया जाए। **Waste Disposal** दिन में तीन बार (प्रातकाल, दोपहर व रात्रि की शिफ्ट) में कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।

टर्मिनल डिसइन्फेक्शन

क्र.सं.	एरिया	डिसइन्फेक्शन	कॉन्टेक्ट टाईम	निरंतरता
1.	वह सतह जिस पर सभी लोगों के हाथ लगते हो	1 प्रतिशत हाइपोक्लोराईड सोल्यूशन से	10 मिनट	हर 2 घंटे
2.	जमीन की सतह	पहले डिर्टेजेन्ट व पानी से सफाई उसके पश्चात 1 प्रतिशत हाइपोक्लोराईड सोल्यूशन से मोपिंग	10 मिनट	हर 8 घंटे
3.	दीवार व छत	1 प्रतिशत हाइपोक्लोराईड सोल्यूशन से	10 मिनट	दिन में 1 बार
4.	कोरिडॉर	1 प्रतिशत हाइपोक्लोराईड सोल्यूशन से	10 मिनट	हर 8 घंटे
5.	लिनन	1 प्रतिशत हाइपोक्लोराईड सोल्यूशन से	30 मिनट	आवश्कतानुसार
6.	टॉयलेट	पहले डिर्टेजेन्ट व पानी से सफाई उसके पश्चात 1 प्रतिशत हाइपोक्लोराईड सोल्यूशन से मोपिंग	10 मिनट	हर 4 घंटे
7	नॉन क्रिटीकल इक्यूपमेन्ट पल्स ऑक्सोमीटर, बीपी इन्स्ट्रमेन्ट, थर्मल स्केनर, ग्लूको मीटर, स्टेथोस्कोप, नेब्यूलाईजर	सैनेटाईजर / वाईप्स के माध्यम से		हर बार उपयोग मे लेने के पश्चात

16. रिकॉर्ड कीपिंग : प्रत्येक कोविड–19 केयर सेन्टर पर रिकार्ड कीपिंग के लिए निम्नलिखित रिकार्ड व रजिस्टर आवश्यक रूप से मैनटेन रखे जावेगें :–

1. आईपी रजिस्टर
2. स्वेब क्लेक्शन रजिस्टर
3. डाइट बुक
4. रिपोर्ट बुक
5. ट्रांसफर इन–ट्रांसफर आउट
6. डिस्चार्ज रजिस्टर
7. मेडिसिन, कन्ज्यूमेबल, स्टेशनरी, कैमिकल एवं सर्जिकल रजिस्टर
8. इनवेन्टिरी रजिस्टर
9. वेस्ट मैनेजमेन्ट रजिस्टर
10. पीपीई उपयोग रजिस्टर
11. उपस्थिति रजिस्टर
12. कोविड ट्रेनिंग रजिस्टर
13. रेड चैनल रजिस्टर
14. हाईपोक्लोराइड सोल्यूशन का रिकार्ड

17. <u>Prophylactic Treatment</u> : प्रत्येक कोविड–19 सेन्टर पर कार्य करने वाले कार्मिकों को स्वयं के बचाव हेतु **ICMR** की गाईडलाईन के अनुसार **prophylactic Hydroxy Chloroquine (HCQ)** दिया जावें। साथ ही 14 दिन से अधिक लगातार ड्यूटी नहीं करेगें तथा ड्यूटी की अवधि में तथा 14 दिन की ड्यूटी अवधि के बाद, 14 दिन के क्वान्टिाईन हेतु पृथक से आवास की व्यवस्था की जावें तथा आवास, भोजन व अन्य व्यवस्था हेतु होने वाला व्यय एनएचएम मद से किया जावे।

18. <u>आरोग्य सेतू एवं राजकोविड एप :</u> प्रत्येक कोविड–19 केयर सेन्टर पर नियुक्त नोड्ल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह कोविड केयर सेन्टर पर कार्य कर रहे कार्मिकों एवं रखे गये रोगियों को उनके मोबाईल पर **"आरोग्य सेतू" एवं "राजकोविड" एप** को आवश्यक रूप से डाउनलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें एवं उनकी महत्वपूर्ण जानकारी एप में दर्ज करवाए।

19. <u>मानव संसाधन नियोजन :</u> प्रत्येक कोविड–19 केयर सेन्टर पर आवयकतानुसार चिकित्सक, आयुष चिकित्सक, नर्सिंगकर्मी, सफाईकर्मी, वॉर्ड बॉय, स्वयंसेवी कार्यकर्त्ता इत्यादि को बैड क्षमता के अनुसार लगाया जावे।

20. <u>एम्बूलेन्स सेवा :</u> कोविड–19 केयर सेन्टर 24 घंटे बेसिक लाईफ सपोर्ट एम्बूलेन्स की सुविधा ऑक्सीजन के साथ उपलब्ध हो।

21. <u>भोजन व्यवस्था :</u> जिला प्रशासन द्वारा कोविड केयर सेन्टर में रहने वाले रोगियों एवं कार्य करने वाले कार्मिकों हेतु प्रतिदिन चाय (सुबह–शाम), नाश्ता, भोजन (सुबह–शाम) व पेयजल की व्यवस्था हेतु पानी के कैम्पर रखवाकर सुनिश्चित की जाये। रोगियों के भोजन व जलपान हेतु डिस्पोजेब्ल प्लेट, कप व ग्लासों का उपयोग किया जाये। भोजन, चाय, नाश्ता, पेयजल (पानी के कैम्पर) एवं डिस्पोजेब्ल सामान पर होने वाला व्यय एनएचएम के मद से वहन किया जा सकता है।

22. <u>लॉण्ड्री सुविधाएं :</u> कोविड–19 केयर सेन्टर के रोगियों के कपड़े, चाद्र, तौलिये, पर्दे इत्यादि को लॉण्ड्री में भिजवाने से पूर्व 01 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड में 30 मिनट तक भिगोकर संक्रमण मुक्त करने हेतु रखा जावे। गर्म पानी उपलब्ध होने पर उसका उपयोग किया जाये। तत्पश्चात् वाशिंग मशीन से एवं डिर्टजन्ट के माध्यम से साफ किया जाये।

23. <u>सुरक्षा व्यवस्था :</u> पुलिस अथवा होम गार्ड के माध्यम से कोविड–19 केयर सेन्टर पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। जो कार्मिक कोविड–19 केयर सेन्टर में किसी भी कार्य हेतु प्रवेश करेगा वह पूरी तरह से सुरक्षा उपाय यथा मॉस्क, ग्लव्स, पीपीई किट इत्यादि का उपयोग करते हुए निर्धारित सिंगल एन्ट्री/एग्जिट प्वाइंट से ही प्रवेश अथवा निकास करेगा। सीसी टी0वी0 कैमरे के माध्यम से कोविड केयर सेन्टर की मॉनिटरिंग भी लगातार करवाई जावे।

Checklist for identification of facility as COVID-19 Care Centre

Name & Contact Details of Owner:
Address of the facility:

Sr No	Particulars	Yes/No	Remarks
1.	Facility is Private or Public?		
2.	Mention whether facility is Hostel/Hotel/ Dormitory/ Marriage Hall or any other		
3.	Distance from Nearest Dedicated COVID Care Hospital (Mention Name of Hospital)		
4.	Mention whether facility is included in Nagar Nigam, Nagar Palika, Panchayat Samiti etc		
5.	Is Facility located away from residential area?		
6.	Is Ramp facility available for convenience of Disabled Persons		
	IF Hostel or Hotel		
7.	Mention the Total number of Rooms		
8.	Total No. of AC Rooms		
9.	Total No. of Non AC Rooms		
10.	Total No. of Air Cooled Rooms (Desert Cooler)		
11.	No. of single Bedded Rooms with attached bathroom		
12.	No. of Double Bedded Rooms with attached bathroom		
	IF Dormitory or Big /Marriage Hall		
13.	Total No. of Rooms		
14.	NO. of Big Rooms		
15.	No. of Small Rooms		
16.	No. of Big and Small Halls		
17.	How many Beds can be accommodated in Big hall with One meter Distance,		
18.	How many Beds can be accommodated in Small hall with One meter Distance		
19.	Total No. of Bathroom / Toilet facility		
20.	No. of Male Bathroom and Washrooms		
21.	No. of Female Bathroom and Washrooms		
	General Information of the Facility		
22.	No. of Beds with Mattress and Linen, Pillows available		
23.	Proper ventilation and lighting facility in all rooms? (Yes/No)		
24.	Whether electricity supply is available 24x7 with Power Backup		
25.	Whether water supply is available 24x7		
26.	Total water storage capacity in Litres (Mention)		
27.	Functional telephone system?		
28.	Is Internet Connection available?		
29.	Availability of Clean Drinking water at facility?		
30.	Availability of Ceiling fan, Coolers, Water Cooler at the facility		
31.	Availability of Parking Facility?		
32.	Availability of security personnel at the facility 24x7?		
33.	Availability of Kitchen?		
34.	Availability of Cleaning staff at Facility?		